अगली तारीख दिनांक 27/4/17 को
विभागीय राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 7/4/17 को
की जावेगी।

7/4/17 वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादीगण के कार्यालय से नोटिस अभी तक जारी नहीं किये हैं। अतः आवश्यक पक्ष को नोटिस जारी करवाकर दिनांक 27/4/17 को पेश करावें।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

27/4/17 वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादीगण के कार्यालय से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

27/6/17 वकील प्रतिवादी उपस्थित आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिनी को/से साक्ष्य वादी दिनांक 1/7/14 को बन्द हो चुकी है तथा साक्ष्य प्रतिवादी के लिये अपनी साक्ष्य दिनांक 27/4/15 को बन्द कर दी है। जब दोनों पक्षों की साक्ष्य बन्द हो चुकी है तो वादिनी का बाद पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः बाद वादिनी डमी का खारिज किया जाता है। पत्रावली पंकज कुमार बेरवा के पास हो। शीघ्र पढ़ा हो।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)